सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No NCST/DEV-2658/JH/94/2024-ESDW- RU-IV Dated:- 28.03.2024

To,

उपायुक्त,
जिला लातेहार
समाहरणालय भवन,
कार्यालय उपायुक्त,
लातेहार, झारखंड -829206
ई: मेल- dc-lat@nic.in

विषय: कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड बाना लातेहार के द्वारा मैनपावर कर्मचारियों के अधिकारों के हनन (चकला) एवं परिसंपतियों का दोहन करने के संबंध में श्रीचन्द्रदेव उरांव, ग्राम दामोदर,पोस्ट दामोदर, थाना चंदवा, जिला लातेहार, झारखंड से दिनांक 07.02.2024 का अभ्यावेदन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 27.02.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गए अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट की गई कार्रवाई / की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

संलग्न:यथोपरि।

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री चन्द्रदेव उरांव,
ग्राम दामोदर,
पोस्ट दामोदर,
थाना चंदवा , जिला लातेहार,
झारखंड- 829203
मोबाइल :9508264226

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
फा. सं. NCST/DEV-2658/JH/94/2024-ESDW

कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड बाना (चकला) लातेहार द्वारा मैनपावर कर्मचारियों के अधिकारों के हनन एवं परिसंपत्तियों के दोहन के संबंध में श्री चंद्रदेव उरांव, ग्राम-दामोदर, पोस्ट-दामोदर, थाना-चंदवा, जिला-लातेहार, झारखंड की शिकायत पर आयोग द्वारा आयोजित सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग की तिथि एवं समय : 27.02.2025 को 03:40 बजे अपराह्न
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-। के अनुसार।

1. श्री चंद्रदेव उरांव की शिकायत दिनांक 07.02.2024 आयोग में प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड ने वर्ष 2007-08 में झारखंड के लातेहार जिले के चकला और बाना गांव में 1080 मेगावाट का थर्मल पावर संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहित की थी। इसके बदले प्रभावित लोगों को मुआवजा और नौकरी सहित अन्य सुविधाएं देने का वादा किया गया था । संयंत्र स्थापित होने के बाद कुछ लोगों को कम वेतन पर नौकरी दी गई, लेकिन 2011 में कंपनी का कोल ब्लॉक आवंटन रद्द होने के बाद सभी कर्मचारियों का वेतन और भविष्य निधि रोक दी गई, जबकि कंपनी कार्य जारी रखने के साथ नौकरी का आश्वासन देती रही। 2016 में ARCIL नामक कंपनी ने कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड (CPL) का कार्यभार अपने अधीन ले लिया। ARCIL, प्रमुख ने कर्मचारियों को पुनः काम पर रखा, लेकिन उन्हें 29 माह के वेतन का केवल 25% ही दिया गया और उनकी भविष्य निधि अब तक नहीं दी गई। अतः आवेदक ने आयोग से अनुरोध किया कि उन्हें उनका उचित हक और बकाया राशि दिलाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा उनकी परिसंपत्तियों के शोषण को रोका जाए।

2. आयोग द्वारा उक्त मामले का संज्ञान लेते हुए इस मामले में 15 दिवस में रिपोर्ट मांगने हेतु उपायुक्त, जिला-लातेहार, झारखंड को नोटिस दिनांक 27.02.2024 को भेजा गया।

3. आयोग के नोटिस के संदर्भ में उपायुक्त, जिला-लातेहार, झारखंड से रिपोर्ट दिनांक 07.05.2024 प्राप्त हुई, जिसे संतोषजनक न पाए जाने पर आयोग ने मामले में दिनांक 27.02.2025 को सुनवाई निर्धारित की। तदनुसार, सिटिंग नोटिस जारी किए गए।

4. मामले में जिलाधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए, उनकी ओर से कार्यपालक दंडाधिकारी पेश हुए। याचिकाकर्ता सिटिंग में उपस्थित रहे ।

5. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है:-

आशा लकड़ा
डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003, Website: www.ncst.nic.in
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free: 1800117777

I. उपायुक्त, जिला-लातेहार, झारखंड मामले में विस्तृत जांच कर यह बताएं कि कर्मचारियों का बकाया वेतन एवं भविष्य निधि भुगतान क्यों नहीं किया गया तथा इस सम्बन्ध में अबतक इसके समाधान हेतु क्या कदम उठाए ?

II. प्लांट के लिए अधिग्रहित भूमि का पूर्ण एवं सही भुगतान सभी भूस्वामियों को किया गया है या नहीं, तथा भूमि अधिग्रहण के सभी नियमों का पालन सुनिश्चित हुआ है या नहीं, इस संबंध में आयोग को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

III. प्लांट से जुड़े सभी ठेकेदारों की जवाबदेही निर्धारित करने हेतु एक विशेष समिति गठित की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं को रोका जा सके।

IV. झारखंड सरकार के श्रम विभाग को मामले से अवगत कराया जाए ताकि वे मजदूरों के अधिकारों की रक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाते हुए मजदूरी संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें। इस हेतु सचिव श्रम विभाग को यह कार्यवृत भेजकर सूचित किया जाए

इस मामले की जांच रिपोर्ट आयोग को 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाए।

आशा लकड़ा
19/03/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्या
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/DEV-2658/JH/94/2024-ESDW- RU-IV

Sitting to be held on **27.02.2025 at 03:40 P.M**- कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड बाना (चकला) के करने दोहन का परिसंपतियों एवं हनन के अधिकारों के कर्मचारियों मैनपावर द्वारा के लातेहार श्री में संबंधचन्द्रदेव उरांव, ग्रामदामोदर-,पोस्टदामोदर-,थानाचंदवा-, जिलालातेहार-,झारखंड से दिनांक 07.02.2024 का अभ्यावेदन

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Surat Singh Director		
3.	Shri H.R. Meena Research Officer		
3.	Shri Rahul Investigator		
4.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
5.	Shubhashis Rasik Soren		[signature]
II	**Officers from O/o Deputy Commissioner, Latehar**		
1.	AJAY KACHHAP		[signature] 27-02-25
2.			
3.			
4.			
5.			
III	**Petitioners**		
1.	चन्द्रदेव उरांव	9508264226	[signature]
2.			